सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्निरीक्षण (Supreme court and Judicial review)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131-132 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्नीक्षण का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 131 और अनुच्छेद 132 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय संघीय और राज्यों की विधि के सम्बन्ध यदि यह महसूस करता है कि कोई विधि संविधान के किस अनुच्छेद की अवहेलना कर रही है, तो न्यायालय उस अवैध घोषित कर सकता है।

इसे न्यायिक पुनर्नीक्षण का अधिकार कहते है। दूसरे शब्दों में न्यायिक पुनर्नीक्षण सर्वोच्च न्यायालय की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह विधानमण्डल के कानूनों तथा कार्यपालिका के आदेशों की जाँच कर सकते है।

संविधान देश का सर्वोपरि कानून है उसकी सुरक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख वैधानिक कर्तव्य है।

इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय को संघीय व्यवस्था और मौलिक अधिकारों के रक्षक तथा भारतीय संघ के अन्तिम अपीलीय न्यायालय के रूप में बहुत अधिक व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त है।